न्यायालय–सिविल जज(जू०डि०) हवेली, फैजाबाद।

स०प्र०वाद संख्या– 12/19

माता प्रसाद आदि बनाम वेवी आदि।

दिनांक–14.09.2024

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थना पत्र 3 क[1] अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 जा०दी० मय शपथ पत्र न्यायालय की सीमा एवं क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 3 क[1] पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

आवेदक के कथनानुसार, मूलवाद सं०–382/2015 माता प्रसाद बनाम वेवी आदि श्रीमान् जी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में प्रार्थी मुकदमें की पैरवी हेतु बराबर आता है। प्रार्थी दौरान मुकदमा बीमार हो गया तथा इलाज हेतु अपने लड़के के पास दिल्ली चला गया तथा अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अपने साले को नियुक्त कर दिया। प्रार्थी के साले ने व्यस्तता के कारण मुकदमें की पैरवी नहीं की और न ही प्रार्थी को बताया जिससे उपरोक्त वाद दिनांक 19.09.2017 को पक्षों की अनुपस्थिति में निरस्त हो गया। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण वाद के गुण–दोष के आधार पर निस्तारण चाहते हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद सं०–382/2015 माता प्रसाद बनाम वेवी आदि दिनांक–19.09.2017 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति मे खारिज हो गया था। आवेदक के कथनानुसार, प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। आवेदक वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर कराने की इच्छुक है। प्रार्थना पत्र समय अवधि के भीतर है। नियत तिथि पर प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। आवेदक का आचरण आपत्तिजनक है किन्तु न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 3 क[1] स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3 क[1] स्वीकार किया जाता है। मूलवाद सं०–382/2015 माता प्रसाद बनाम वेवी आदि में पारित आदेश दिनांक–19.09.2017 अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकीर्णवाद अपने मूल नंबर पर कायम हो। विपक्षी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक–15.10.2024 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०)हवेली,
फैजाबाद।

J.O.Code–UP3291